

21/9/22

पत्रावली पत्र 3 है। मकील पक्षकार  
 उपस्थित। प्रां. प्र. 212 RTI Act का  
 बहस हुनी गई, पत्रावली पर उपलब्ध  
 रेकॉर्ड का आयोजन किया गया।  
 बहस पर मतलब किया गया। समस्त  
 विवेक से पत्रावली को सामान्य  
 प्रथमदृष्ट्या धारिणी के पक्ष में  
 प्रतीत होता है तथा सुविधा का अनुभव  
 भी पत्रावली के पक्ष में है। अतः निम्न  
 निरस्त होकर धारिणी को ही  
 अधिनीय स्ति हो रही है। अतः पत्रावली  
 का प्रां. प्र. 212 का एकीकरण किया  
 जाता है तथा मीजा रिपोर्ट के  
 अंतर्गत प्र. 471 के अन्तर्गत 0.0600 हेक्टर  
 गैरसुभक्ति क्षेत्र भी अन्तर्गत पर ता  
 फिलहाल यह की 212 के रेकॉर्ड के मोड की  
 प्रथावली के अधिनीय बनानी रखी  
 जावे। पत्रावली के अन्तर्गत अनुभव होकर  
 धारिणी के अन्तर्गत होकर गैरसुभक्ति क्षेत्र  
 ही

उपखण्ड अधिकारी  
 रियांवडी (नागौर)